न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 17 / 2018

प्रार्थीगण

1. हकमाराम पुत्र खेताराम
2. मनराराम पुत्र खेताराम
3. गोकलाराम पुत्र खेताराम
4. वचनाराम पुत्र खेताराम
5. भोमाराम पुत्र खेताराम समस्त जातियान रेबारी निवासी मारूवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1. भबूताराम पि. गोदा
2. धुकाराम पि. गोदा
3. होतीराम पुत्र पेलाजाराम
4. गंगादेवी पुत्री पेलाजाराम
5. मेतीदेवी पुत्री पेलाजाराम जातियान रेबारी निवासी मारूवाडा तहसील रानीवाडा
6. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा रानीवाडा
7. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा
8. देवराजा पुत्र गोदा जाति रेबारी निवासी मारूवाडा तहसील रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 7 राजपेरोकार रानीवाडा उपस्थित।

निर्णय

दिनांक – 01.04.2021

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की कब्जासुदा पुश्तैनी आराजी अडौस –पडौस में आई हुई है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 83 रकबा 4.49 हेक्टेयर तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी के खसरा नम्बर 86 रकबा 2.15 हेक्टेयर है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 हमेशा माठ तोड़ते रहते है तथा नई माठ प्रार्थीगणों की खातेदारी में बनाते है। इस प्रकार हर वर्ष अप्रार्थीगण पुरानी माठ तोडकर नई माठ प्रार्थीगण की खातेदारी में बनाते है। इस प्रकार खातेदारी आराजी में दखलन्दाजी का दौर निरन्तर जारी है।
2. प्रार्थीगण ने श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाडा के कार्यालय में दिनांक 13.06.2018 को खातेदारी आराजी की पैमाईश का प्रार्थना पत्र शुल्क मय पेश किया गया तब श्रीमान तहसीलदार महोदय ने आदेशजारी [illegible]श क्रमांक / भू.अ. / 64 दिनांक 13. 06.2018 उक्त आदेश की अनुपालना में पैमाईश [illegible] दिनांक 05.08.2018 को खातेदारी आराजी में पहुचा पैमाईश के वक्त प्रार्थीगण [illegible] अप्रार्थीगण उपस्थित [illegible] अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.04.22 16:36:17 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा पैमाईश को सही नहीं बताया तथा उक्त पैमाईश पर असहमति जता दी। इस प्रकार अप्रार्थीगण हल्का पटवारी व आई आर द्वारा की गई पैमाईश को मानने पर तैयार नही है। अप्रार्थीगण सरकारी आदेश को भी नहीं मानने पर तैयार नहीं है तथा जबरन खातेदारी आराजी हडपना चाहते है, अप्रार्थीगण सिरजोर राजनीतिक पहुच वाले है। इस प्रकार प्रार्थीगण के खातेदारी आराजी में निरन्तर दखलन्दाजी माठ तोडना माठ तोडकर दुसरी बनाना, पशु छोडना तथा फसल को नुकसान पहुचाना आम बात है विरोध करने पर समूह के रूप में इकटठा होकर गाली गलौच करना आम बात है। अप्रार्थीगण किसी का भी कहना नहीं मानते तथा प्रार्थीगण एवं उनके परिवार को मरने–मारने पर उतारू है। इस प्रकार खातेदारी आराजी का सीमाज्ञान करने तथा पत्थर गड़ी बाबत प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय को पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी के खसरा नम्बर 83 रकबा 5.49 हेक्टेयर है उक्त आराजी को अप्रार्थीगण हडपने पर आमादा है, अप्रार्थीगण पैमाईश जो हल्का पटवारी व आर.आई. द्वारा गवाहानों के समक्ष की गई थी उनको भी नहीं मान रहे है ऐसी विवादित स्थिति में न्यायहित में सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी हेतु टीम गठित करना आवश्यक है ताकि विवाद का निपटारा हो सके। यह है कि सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। उक्त विवादीत स्थिति के निपटारे हेतु कमेठी गठित की जाये तथा पुलिस सुरक्षा में पैमाईश कर पत्थर गढी करने की व्यवस्था किया जाना न्यायोचित एवं वैध है। प्रार्थना पत्र बाबत स्थायी सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करने का पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा मारूवाडा के खसरा नम्बर 83 रकबा 5.43 की पैमाईश हेतू कमेठी गठित करने का न्यायोचित आदेश फरमावें।

3. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 व 8 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तथा अप्रार्थी संख्या 7 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश किया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा मारूवाडा के खेत खसरा नम्बर 83 रकबा 4.49 हैक्टेयर किस्म बा.दो. जो कि जमाबंदी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 220 में खातेदार गोकलाराम, भोमाराम, मनराराम, वचनाराम, हकमाराम पिसरान खेताराम सा. देह खातेदार दर्ज है। तथा सभी खातेदारान का हिस्सा आर.एम.जी.बी. शाखा रानीवाडा में हिस्से रहन दर्ज है तथा खसरा नम्बर 332, 333, 41, 86 रकबा क्रमश 0.08, 2.80, 2. 53, 2.15 हेक्टेयर जूमले रकबा 7.56 हेक्टेयर में वर्तमान जमाबंदी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 115 में खातेदार गंगादेवी पत्नि प्रेलाजाराम, देवराजा पुत्र गोदा ,धुकाराम, भबूताराम पुत्र गोदा, मेतीदेवी पुत्री प्रेलाजाराम होतीराम पुत्र प्रेलाजाराम जातियान रेबारी सा. देह खातेदारान दर्ज है। तथा एस.बी.आई शाखा रानीवाडा में सभी के हिस्से रहन दर्ज है। तथा श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाडा के आदेश क्रमांक/भू.अ./64 दिनांक 13.06.2018 की पालना में पटवारी हल्का रतनपुरा व भू.अ.निरीक्षक जाखडी द्वारा दिनांक 05.08.2018 का खसरा नम्बर 83 व 86 के सीमा का सीमाज्ञान करवाया गया लेकिन खसरा नम्बर 86 के खातेदारान द्वारा असहमति जाहिर की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.04.22 16:36:17 IST
Reason: SelfAttested

5. पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व अप्रार्थी संख्या 7 के जवाब व बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 05.08.2018 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। तथा तहसीलदार रानीवाडा ने अपने जवाब में भी सीमाविवाद होना स्वीकर किया है। व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका फर्द में भी सीमाविवाद होना प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः उपरोक्त खसरा नम्बर 83 व 86 के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

—: आदेश :—

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा मारूवाडा पटवार मण्डल रतनपूर के खसरा नम्बर 83 रकबा क्रमश 4.49 हैक्टेयर के आराजी की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 01.04.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.04.22 16:36:17 IST
Reason: SelfAttested